संख्या–५४०/VI-I/2009–2(28)/2008

प्रेषक,

अंजली प्रसाद,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
उत्तराखण्ड देहरादून।

संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कल्याण अनुभाग   देहरादूनः दिनांक-10 जुलाई 2009

विषयः– वित्तीय वर्ष 2009–10 के लेखानुदान द्वारा आयोजागत/आयोजनेत्तर पक्ष में प्राविधानित धनराशि के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–320 एवं 321/सं0नि0उ0/दो–3/2009–10 दिनांक 30 मई, 2009 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संस्कृति विभाग उत्तराखण्ड के वित्तीय वर्ष 2009–10 के अनुदान संख्या–11 के आयोजनागत पक्ष में धनराशि रू0 95.25 लाख (रू0 पिचानवे लाख पच्चीस हजार) मात्र तथा आयोजनेत्तर पक्ष में धनराशि रू0 16.55 लाख (रू0 सोलह लाख पचपन हजार) मात्र की धनराशि निम्नानुसार आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय करने की स्वीकृति प्रदान किये जाने पर श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

2– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश सं0–205/XXVII(1)/2009 दिनांक 25 मार्च, 2009 में विहित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाय। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका/उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008 के नियमों एवं अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक हैं। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए।

3– उक्त धनराशि उन्हीं मदों पर व्यय की जाय जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है। व्यय में मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय। स्वीकृत धनराशि के व्यय के विवरण शासन तथा महालेखाकार को नियमित रूप से भेजे।

4– फर्नीचर/उपकरण/मशीन आदि का क्रय पूर्व अनुपलब्धता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित करते हुए यथा आवश्यकता ही, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।

5– व्यय बजट एवं परिव्यय की सीमान्तर्गत रहते हुए ही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6– धनराशि का एक मुश्त आहरण न करके आवश्यकतानुसार मासिक व्यय की समय सारिणी बनाकर ही आहरण करा दी जायेगी।

7– धनराशि का किसी भी दशा में व्ययवर्तन नहीं किया जायेगा। धनराशि उसी मद में व्यय की जाय जिसके लिए स्वीकृति की जा रही है। व्यय में मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय। स्वीकृत धनराशि के व्यय के विवरण शासन तथा महालेखाकार को नियमित रूप से भेजें।

8– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2009–10 के आय–व्यय में अनुदान संख्या–11 लेखाशीर्षक–2205 के अनुसार संगत मानक मदों के नाम संलग्नक 'क' के विवरणानुसार डाला जायेगा।

9– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–237(P)/XXVII(3)2009–10/2009 दिनांक 03 जुलाई, 2009 द्वारा प्रदत्त आदेश से जारी किया जा रहे हैं।

संलग्नक– यथोपरि।

भवदीय,

(अंजली प्रसाद)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक–तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 संस्कृति मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
4– वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
5– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
6– एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)
अनुसचिव।